भाग–III

हरियाणा सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 अप्रैल, 2022

संख्या का०आ० 15/के०अ० 16/1927/धा० 32/2022.– चूंकि, हरियाणा सरकार, वन विभाग अधिसूचना संख्या का०आ० 13/के०अ० 16/1927/धा० 29/2022 दिनांक 11 अप्रैल, 2022, द्वारा उससे संलग्न अनुसूची में उल्लिखत कतिपय वन तथा बन्जर भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 29 के अधीन संरक्षित वन के रूप में घोषित की गई है;

इसलिए, अब, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्वोक्त अधिसूचना के अधीन विनिर्दिष्ट सभी भूमियों पर लागू होने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

नियम

1. कोई भी व्यक्ति, ऐसे वन मण्डल, जिसमें ऐसी उक्त भूमि स्थित है, के तत्समय कार्यभारी वन मण्डल अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त संरक्षित वन से किसी भी प्रयोजन के लिए, चाहे कुछ भी हो, किसी वृक्ष तथा ईमारती लकड़ी को काटेगा नहीं, चीरेगा नहीं, संपरिवर्तित नहीं करेगा अथवा हटाएगा नहीं, किसी वन उपज को एकत्रित नहीं करेगा या हटाएगा नहीं।
2. कोई भी व्यक्ति, ऐसी भूमि पर किन्ही पशुओं को एकत्रित नहीं करेगा, चराने के लिए नहीं ले जाएगा, चराएगा नहीं अथवा रोके नहीं रखेगा। तथापि सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी पशुओं की सीमित संख्या को चराने की अनुमति दे सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति, ऐसी भूमि पर घास, वृक्षों या ईमारती लकड़ी को आग नहीं लगाएगा अथवा आग प्रज्जवलित नहीं करेगा।
4. कोई भी व्यक्ति, वन मण्डल अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना घास नहीं काटेगा तथा हटाएगा नहीं।
5. कोई भी व्यक्ति, वन मण्डल अधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना उक्त भूमि पर शिकार नही करेगा, गोली नहीं चलाएगा या न ही मछलियाँ पकड़ेगा।
6. वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए, कि ईमारती लकड़ी या वन उपज विधिपूर्वक प्राप्त की गई है, किसी भी समय पर ऐसे वन में से निकाली जा रही किसी ईमारती लकड़ी अथवा वन उपज का निरीक्षण कर सकता है।

ए० के० सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FOREST DEPARTMENT

Notification

The 11th April, 2022

No. S.O. 15/C.A. 16/1927/S. 32/2022.— Whereas, by the Haryana Government, Forest Department, Notification No. S.O. 13/C.A. 16/1927/S. 29/2022, dated the 11th April, 2022, certain forests and waste lands mentioned in the Schedule appended thereto have been declared to be protected forest under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 32 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927), the Governor of Haryana hereby makes the following rules applicable to all lands specified under the aforesaid notification:-

Rules

1. No person shall cut, saw, convert or remove any tree and timber for any purpose, whatsoever, collect or remove any forest produce from the said protected forests without the prior permission in writing of the Divisional Forest Officer in charge at that time of the Forest Division in which such land is situated.
2. No person shall herd, pasture, graze or retain any cattle on such land. However, the concerned Divisional Forest Officer may permit grazing by a limited number of cattle.
3. No person shall set fire to grass, trees or timber or kindle a fire on such land.
4. No person shall cut and remove grass without obtaining a licence from the Divisional Forest Officer or his authorized representative.
5. No person shall hunt, shoot or fish on the said land without obtaining a licence from the Divisional Forest Officer.
6. The Forest Officer may examine any timber or forest produce passing out of such forest at any time to ensure that the timber or the forest produce has been lawfully obtained.

A. K. SINGH,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Forest Department.

9557—L.R.—H.G.P., Pkl.